उनवान.....

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 64 / 2022 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्याः— 2022 / 107

उनवान

1. दामोदर प्रसाद गौतम पुत्र भीकम चन्द उम्र 70 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी बहनोली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।
2. सीताराम पुत्र छीतरमल उम्र 57 वर्ष जाति मीना पेशा काश्तकारी निवासी बहनोली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।
3. शंकर लाल पुत्र कालूराम उम्र 52 वर्ष जाति मीना पेशा काश्तकारी निवासी बहनोली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलांटगण।

बनाम

1. नारायण पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी बहनोली तहसील बौंली हाल निवासी मानपुर पोस्ट भगवंतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
2. छीतर पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी बहनोली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।
3. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौंली जिला सवाई माधोपुर।

....रेस्पोडेन्ट्स्।

उपस्थित:—

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री रघु बंसल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।

—:: निर्णय ::—

दिनांकः 19.06.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड़ बौली जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 13 / 2016 बउनवान नारायण बनाम छीतर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2022 के विरुद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती उपखण्ड अधिकारी बौंली के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम बहनोली तहसील बौंली की मुताबिक जमाबंदी संवत् 2029 लगायत 2032 खाता संख्या 34 मे दर्ज आराजी खसरा नंबर 155 रकबा 01 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 923 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

10 बिस्वा, खसरा नंबर 924 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 1063 रकबा 02 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा तथा खाता संख्या 35 में अंकित खसरा नंबर 931 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 936 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा वादी के पिता गणेश पुत्र देव्या चमार की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी जिस पर वादी का बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। वादी के पिता के स्वर्गवास पर उक्त आराजीयात का नामान्तकरण वादी के हक में खोला जाकर जमाबंदी संवत् 2033–36 मे खाता संख्या 49 मे अंकन किया गयां। वादी की उम्र पिता के गुजरने के समय 5–7 साल थी इस कारण वादी का आम बोलते नाम छीतर से नामान्तरण खोल दिया जबकि वादी का संपूर्ण दस्तावेजात मे नाम नारायण है। अनुतोष चाहा कि वादी का नाम उक्त आराजीयात मुतनाजा मे छीतर के स्थान पर नारायण दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किए जाने के आदेश पारित किए जावें। मातहत अदालत ने उक्त वाद में दिनांक 29.03.2022 को आदेश पारित करते हुए उक्त विवादित आराजीयात छीतर पुत्र गणेश कौम बैरवा के स्थान पर नारायण पुत्र गणेश कौम बैरवा दुरूस्त करने के आदेश पारित कर दिए। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट द्वारा पेश की गई है।

3. अपील मीमों मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने मातहत अदालत में जमाबंदी संवत् 2029 से संवत् 2032 की खाता संख्या 35 की प्रस्तुत की थी, उक्त जमाबंदी के कॉलम नंबर 05 में खातेदारी गणेश पुत्र देव्या चमार राहिन दुर्गालाल पुत्र कानाराम ब्राहम्ण सा0 देह मुर्तहिन दर्ज होते भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने जान बूझकर मौके पर काबिज मुर्तहिन के वारिसान अपीलांट संख्या 01 को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है। जिससे वास्तविक तथ्य पत्रावली पर नही आ सकें। मुर्तहिन का इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2017 से संवत् 2020 संवत् 2021 से संवत् 2024 के साथ–साथ मिसल हकीयत संवत् 1987 पर्चा चकबंदी में अपीलांट के पूर्वजों के नाम का इन्द्राज मुर्तहीन के रूप मे दर्ज हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट के पूर्वजो का विवादित भूमि पर 90 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है लेकिन मातहत अदालत ने मौके पर काबिज व्यक्तियों की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट भी तलब नही की। रेस्पो0 संख्या 01 ने स्वयं को नारायण व छीतर दोनो ही नाम रेस्पोडेन्ट का होना वाद पत्र मे दर्ज किया है, उसके पश्चात् भी छीतर पुत्र गणेश की पक्षकार बनाया गया है। अतः मातहत अदालत आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें एवं मातहत अदालत का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगणों का कदीमी समय से भौतिक कब्जा होते हुये भी जानबूझकर पक्षकार नही बनाया। मातहत अदालत के आदेश दिनांक 29.03.22 की विपक्षी संख्या 01 द्वारा दिनांक 09.09.22 को प्रार्थी के कब्जे के खेत पर आकर धमकी दिये जाने के कारण प्रार्थी ने दिनांक 09.09.22 को जमाबंदी की नकल ली एवं पटवारी हल्का से नामान्तकरण में अंकित न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी करके दिनांक 20.09.22 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की, इसलिए जानकारी के अभाव मे हुई देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगणों का कदीमी समय से भौतिक कब्जा होते हुये भी जानबूझकर पक्षकार नही बनाया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दिनांक 09.09.22 को मौके पर आकर विवादित भूमि को स्वयं के नाम दर्ज होने, एवं लठैत व्यक्तियों को बेचने की धमकी दिये जाने के कारण मातहत अदालत मे विचाधीन वाद पत्र के निर्णय व डिक्री की जानकारी होते ही प्रार्थीगणों की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थीगणों की ओर से माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने के लिये स्वीकृति प्रदान करे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।
7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

8. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की इस्तदुआ की गई।
9. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब बहस मे कथन किया कि अपीलांट का कोई हक निहित नही है क्योंकि जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड मे अपीलांट के नाम का अंकन नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।
10. प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2017 से संवत् 2020 संवत् 2021 से संवत् 2024 के साथ-साथ मिसल हकीयत संवत् 1987 पर्चा चकबंदी मे अपीलांट के पूर्वजों के नाम का इन्द्राज मुर्तहीन के रूप में दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट के पूर्वजों का विवादित भूमि पर कब्जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाता है।
11. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने स्वयं को नारायण व छीतर दोनो ही नाम रेस्पोडेन्ट का होना वाद पत्र में दर्ज किया है, उसके पश्चात् भी छीतर पुत्र गणेश को पक्षकार बनाया गया है। रेस्पो0 संख्या एक ने संपूर्ण वाद पत्र में एवं बयानों में यह भी स्पष्ट नही किया है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 244 के आधार पर त्रुटि हुई है। रेस्पोडेन्ट ने विरासत के नामान्तकरण को आज तक चेलेन्ज भी नही किया है। इस आधार पर मातहत अदालत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 29.03.2022 अपास्त किया जावे।
12. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पैतृक आराजीयात है। वादी के पिता के स्वर्गवास पर उक्त आराजीयात का नामान्तकरण वादी के हक में खोला जाकर जमाबंदी संवत् 2033–36 मे खाता संख्या 49 मे अंकन किया गया। वादी की उम्र पिता के गुजरने के समय 5–7 साल थी इस कारण वादी का नाम बोलते नाम छीतर से नामान्तरण खोल दिया जबकि वादी का संपूर्ण दस्तावेजात मे नाम नारायण है। इसी गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने बाबत् वाद पत्र मातहत अदालत के समक्ष पेश किया था। मातहत अदालत ने भी वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को निर्णय मे उक्त दुरूस्ती कर ही अनुतोष दिया गया, जो न्यायसंगत है। अपीलांटगण का उक्त आराजीयात से कोई संबंध नही है। यह अपील मात्र रेस्पोडेन्टगण को बेवजह परेशान करने के लिए की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
13. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।
14. रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2069–2072 वाके ग्राम बहनोली पटवार हल्का पीपलवाड़ा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 1229 रकबा 0.57 है0 खसरा नंबर 1264 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1265 रकबा 0.41 है0, खसरा नंबर 1273 रकबा 0.19 है0, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नंबर 1278 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 229 रकबा 0.36 कुल किता 6 कुल रकबा 1.93 है0 छीतर पुत्र गणेश कौम बैरवा सा0 देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रथमः– जिस आधार पर वादी वादपत्र लाया है वह नामान्तकरण खोला गया लेकिन वह नामान्तकरण फर्द संख्या 244 अदालत मातहत की पत्रावली मे उपलब्ध ही नही है। इस कारण उक्त निर्णय अपास्त योग्य है।

द्वितीयः– पत्रावली मे उपलब्ध आई.एल.आर. पीपलवाडा की रिपोर्ट दिनांक 05.02.2022 के अंकन से यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि नारायण व छीतर एक ही व्यक्ति है अथवा नही ? क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार ग्रामवासियों ने बताया कि बैरवा जाति के लोग ग्राम बहनोली से करीब 50 से 60 वर्ष पूर्व ही पलायन कर चुके है और वे इस मामले मे कोई जानकारी नही रखते है। इस कारण उक्त निर्णय अपास्त योग्य है।

तृतीयः– नोटिस सम्मन अखबार साया दैनिक नवज्योति के जयपुर संस्करण मे प्रकाशित करवाया गया जबकि विवादित आराजीयात व अपीलांट तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर मे निवास करते है। इससे उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई का मौका दिया जाना प्रतीत नही होता है। इस कारण उक्त निर्णय अपास्त योग्य है।

चतुर्थः– केवल ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर है यह मान लिया गया कि नारायण व छीतर एक ही व्यक्ति है जबकि यह तथ्य केवल किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है। जो कि विधि विपरीत है।

पंचमः–जमाबंदी संवत् 2017 से संवत् 2020 संवत् 2021 से संवत् 2024 के साथ–साथ मिसल हकीयत संवत् 1987 पर्चा चकबंदी मे अपीलांट के पूर्वजों के नाम का इन्द्राज मुर्तहीन के रूप में दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट के पूर्वजों का विवादित भूमि पर कब्जा रहा है। इस प्रकार अपीलांट का हित निहित होने के पश्चात् भी अपीलांट को सुनवाई अवसर दिए बिना ही अदालत मातहत ने उक्त निर्णय पारित किया जो विधि विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

15. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बौंली के मुकदमा नंबर 13/2016 बउनवान नारायण बनाम छीतर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2022 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए उपखण्ड अधिकारी बौली जिला सवाई माधोपुर के समक्ष दिनांक 19.07.2023 को उपस्थित हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

16. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 19.06.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner